प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 81/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2019 –दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना।

2. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 13 दिसम्बर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (वर्ष 2018 का 9) जारी किया है। इन विनियमों के अनुसार, संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से लागू होनी थी।

3. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनएसपी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ 17.09.2019 और 23.09.2019 को हुई चर्चा में यह सुझाव दिया गया था कि नई प्रक्रिया में अंतरण करने से पूर्व सुदृढ़ परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि बाद में प्रणाली संबंधी किसी समस्या के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा न हों। एमएनएसपपी और टीएसपी ने सूचित किया है कि उन्हें अभी कुछ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में दूररसंचार विभाग को स्वीकृत परीक्षण ऑफर करने हैं इसलिए अनुरोध है कि सुदृढ़ आंतरिक एवं अंतर–ऑपरेटर परीक्षण (आईओटी) के लिए अतिरिक्त 2 हफ्तों का समय और दूरसंचार विभाग के संबंधित टर्म कक्ष द्वारा किए जाने वाले परीक्षण के लिए 2–3 हफ्तों के अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, टर्म कक्ष, दूरसंचार विभाग महाराष्ट्र एलएसए से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें 30 सितंबर से पहले परीक्षण को पूरा करने के लिए समय की कमी का हवाला दिया गया है।

4. टीएसपी, एमएनएसपी और दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के अनुसार, प्राधिकरण की दिनांक 27 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना के अनुसार दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू किए जाने हेतु समयावधि को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से बढ़ाकर दिनांक 11 नवम्बर, 2019 कर दिया गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481, फैक्स नंबर +91+11–23232677 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>